न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2023/42 दर्ज तिथिः—27.01.2023

1. देदाराम पुत्र धुडाराम फौतगी पर कायम मुकाम वारिशान
   1/1 भागीरथ गौड
   1/2 ओमप्रकाश
   1/3 शांति देवी
2. जगदीश वल्द जीवाराम
   कौम ब्राहमण साकिन रामजी का गोल फांटा पटवार मंडल पीपराली तहसील गुडामालानी

................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. सतीराम वल्द लिखमाराम
3. मोटाराम वल्द लिखमाराम
4. अणसी देवी पत्नी लिखमाराम
   साकिन रामजी का गोल फांटा तहसील गुडामालानी

..............अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—02.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 570, 571, 572/2 व 573/1 मौजा सगराणियों की बेरी पटवार मण्डल पीपराली तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। खातेदारी आराजी खसरा संख्या 570, 573 मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:56:00 IST
Reason: SelfAttested

सगराणियों की बेरी पटवार मण्डल पीपराली तहसील गुडामालानी अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 की खातेदारी आराजी है।

- कि उक्त आराजी के मूल खसरा संख्या 570, 571 व 572 थे। जिनका सहमति से विभाजन किया गया। उक्त सहमति से विभाजन होने पर नवीन खसरों की तरमीम मौके पर कब्जे से अधिक करते हुए अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 573 की तरमीम प्रार्थीगण के खसरा संख्या 572 / 2 व 571 के ऊपर कर दी गई। इस कारण उक्त आराजी के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति में अंतर आ रहा है। अतः उक्त आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार किये जाने का निवेदन है।

2. प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2489 दिनांक 10.12.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

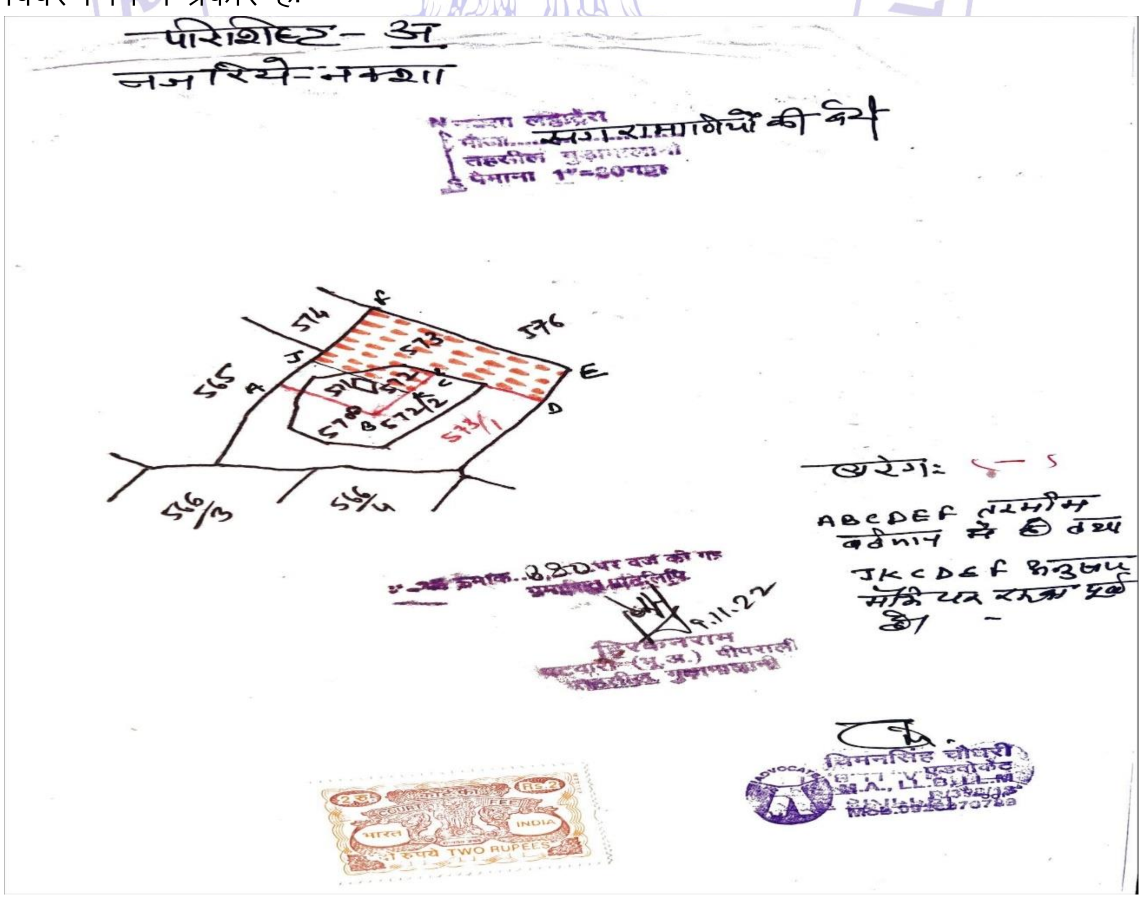

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:56:00 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2489 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2489 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

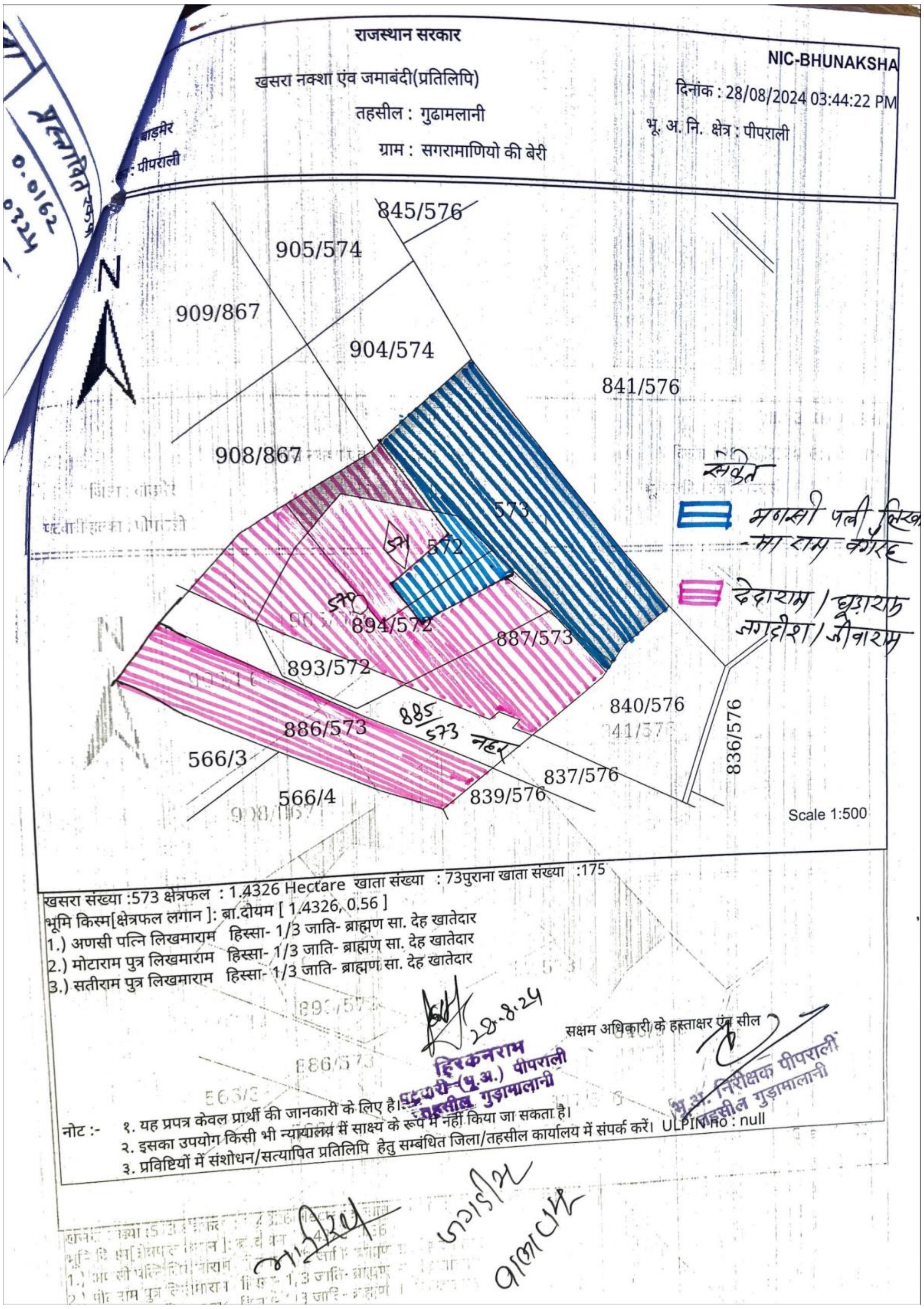

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:56:00 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/2489 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण इस प्रकार हैः–

खातेदार	खसरा संख्या	वर्तमान रकबा	प्रस्तावित रकबा
देदाराम पुत्र धुड़ाराम जगदीश पुत्र जीवाराम जाति ब्रह्मण	570	0.0162 है0	0.0162 है0
	571	0.0324 है0	0.0324 है0
	894/572	0.9469 है0	1.1495 है0
	887/573	0.9268 है0	0.7242 है0
	886/573	1.1760 है0	1.1760 है0
	कुल किता 05	3.0983 है0	3.0983 है0
अणसी पत्नी लिखमाराम मोटाराम पुत्र लिखमाराम सतीराम पुत्र लिखमाराम जाति ब्राह्मण	572	0.4856 है0	0.2830 है0
	573	1.4326 है0	1.6352 है0
	कुल किता 02	1.9182 है0	1.9182 है0

1. वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 570, 571, 894/572, 887/573, 886/573 तथा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 572, 573 मौजा सगरामाणियों की बेरी का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शे में रकबा बरारी अनुसार अंकित नहीं है।
2. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शे में विभाजन आदेश अनुसार ही अंकित किया गया है।
3. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खसरों का रकबा उक्त सारणी अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।
4. बिन्दु संख्या 03 के अनुसार तथा रकबा बरारी अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/2489 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/2489 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का खातेदारी रकबा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल मौके के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/2489 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रकबा दुरूस्ती किया जाकर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:56:00 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू0अ0/2024/2489 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार उक्त आराजी की रकबा दुरूस्ती व तत्पश्चात् रकबा बरारी व मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:56:00 IST
Reason: SelfAttested